



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092026-276037
CG-DL-E-07092026-276037

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4703]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 3, 2026/भाद्र 12, 1948

No. 4703]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2026/BHADRA 12, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2026

का.आ. 4890(अ).— रेलवे अधिनियम – 1989 (2008 में संशोधित) की धारा 2 के उपखंड (7-ए) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम (5) में वर्णित रेलवे परियोजना के कार्य निष्पादन अनुपालन, प्रबंधन एवं परिचालन हेतु कॉलम (3) में वर्णित जनपद एवं कॉलम (4) में वर्णित राज्य में “सक्षम प्राधिकारी” के रूप में कार्य निष्पादित करें।

तालिका

क्रमांक	सक्षम प्राधिकारी	जनपद	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
1	2	3	4	5
1	उप मंडल मजिस्ट्रेट, गुरदासपुर	गुरदासपुर	पंजाब	“उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल में कादियां से ब्यास तक नई (बड़ी लाइन) रेलवे लाइन (39.68 कि.मी.) का निर्माण” पंजाब राज्य के गुरदासपुर एवं अमृतसर जिलों में भूमि अधिग्रहण हेतु।
2	उप मंडल मजिस्ट्रेट, बटाला			
3	उप मंडल मजिस्ट्रेट, बाबा बकाला	अमृतसर		

[फा. सं. 190-W/Land/JUC/QDN-BEAS]

शैलेश कुमार मिश्रा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[Northern Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2026

S.O. 4890(E).— In exercise of the power conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (Amended in 2008), the Central Government hereby authorizes the Officer mentioned in column (2) of the table below to perform the functions of the “**Competent Authority for Land Acquisition (CALA)**” in respect of Railway Project as mentioned in column (5) of the table, for execution, maintenance, management and operation in the District (3) and the state mentioned in column (4) of the said table, with effect from the date of this notification in the Official Gazette.

Table

Sr. No.	Competent Authority	District	State	Name of project
1	2	3	4	5
1	Sub-Divisional Magistrate, Gurdaspur	Gurdaspur	Punjab	“ Construction of New (Broad Gauge) Railway Line from Qadian to Beas (39.68 Kms.) in Firozpur Division of Northern Railway ” for acquisition of land in Districts Gurdaspur and Amritsar of the state of Punjab.
2	Sub-Divisional Magistrate, Batala			
3	Sub-Divisional Magistrate, Baba Bakala	Amritsar		

[F. No. 190-W/Land/JUC/QDN-BEAS]

SHAILESH KUMAR MISHRA, Chief Administrative Officer/Const.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2026

का.आ. 4891(अ).— रेलवे अधिनियम — 1989 (2008 में संशोधित) की धारा 20—एफ के उपखंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम (5) में वर्णित रेलवे परियोजना के कार्य निष्पादन अनुपालन, प्रबंधन एवं परिचालन हेतु कॉलम (3) में वर्णित जनपद एवं कॉलम (4) में वर्णित राज्य में “**आर्बीट्रेटर**” के रूप में कार्य निष्पादित करें।

तालिका

क्रमांक	आर्बीट्रेटर	जनपद	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
1	2	3	4	5
1	उपायुक्त, गुरदासपुर	गुरदासपुर	पंजाब	“उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल में कादियां से ब्यास तक नई (बड़ी लाइन) रेलवे लाइन (39.68 कि.मी.) का निर्माण” पंजाब राज्य के गुरदासपुर एवं अमृतसर जिलों में भूमि अधिग्रहण हेतु।
2	उपायुक्त, अमृतसर	अमृतसर		

[फा. सं. 190-W/Land/JUC/QDN-BEAS]

शैलेश कुमार मिश्रा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2026

S.O. 4891(E).— In exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F of the Railways Act, 1989 (Amended in 2008), the Central Government hereby authorizes the Officer mentioned in column (2) of the table below to perform the functions of the "**Arbitrator**" in respect of 'Railway Project' as mentioned in column (5) of the table, for execution, maintenance, management and operation in the District(3) and state mentioned in column (4) of the said table, with effect from the date of this notification in the Official Gazette.

Table

Sr. No.	Arbitrator	District	State	Name of project
1	2	3	4	5
1	Deputy Commissioner, Gurdaspur	Gurdaspur	Punjab	“Construction of New (Broad Gauge) Railway Line from Qadian to Beas (39.68 Kms.) in Firozpur Division of Northern Railway” for acquisition of land in Districts Gurdaspur and Amritsar of the state of Punjab.
2	Deputy Commissioner, Amritsar	Amritsar		

[F. No. 190-W/Land/JUC/QDN-BEAS]

SHAILESH KUMAR MISHRA, Chief Administrative Officer/Const.